



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937

No. 620]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

का.आ. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 और धारा 5 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1621(अ) तारीख 27 सितंबर, 2006 को, उनके बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन करती है और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

क्रम सं.	नाम और पता	टिप्पणियाँ
1.	श्री शशि शेखर, विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	अध्यक्ष
धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामित सदस्य		
2.	श्री प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव (निर्माण और स्वच्छ भारत मिशन), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल), ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
4.	डा. अमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव (प्रशा.), जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री एस.एस. मोहंती, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
6.	डा. राशिद हसन, सलाहकार, सीपी प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामित सदस्य		
7.	श्री सैयद जावेद अब्बास, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
8.	डा. अयी वामन एन. आचार्य, अध्यक्ष, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बंगलूरु	सदस्य
9.	डा. कल्याण रुद्रा, अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोलकाता	सदस्य

10.	डा. के.यू. मिस्त्री, अध्यक्ष, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधी नगर	सदस्य
11.	श्री दत्तात्रेय धानकावडे, मेयर, पुणे नगर निगम, महाराष्ट्र	सदस्य
धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामित सदस्य		
12.	श्री रमाकांत भारद्वाज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्री कंवल सिंह चौहान, ग्राम अत्तेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा	सदस्य
14.	श्री विवेक नारायण शेजवलकर, मेयर, नगर निगम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	सदस्य
धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामित सदस्य		
15.	श्री एन. कुमार, निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
16.	श्री संजीव सिंह, निदेशक (परिशोधनशाला) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नामित सदस्य		
17.	डा. ए.बी. अकोलकर, सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	सदस्य सचिव

[सं. न्यू-15014/21/2009-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार (सीपी)

टिप्पण: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्यांक सा.का.नि. 998(अ), तारीख 21 सितंबर, 1974 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम पुनर्गठन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1621(अ) तारीख 27 सितंबर, 2006 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2015

**S.O. 814(E).**— In exercise of the powers conferred by section 3 and sub-section (6) of section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1621 (E), dated the 27<sup>th</sup> September, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Central Pollution Control Board and nominates the following persons as its members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :-

Sl. No.	Name and Address	Remarks
1.	Shri Shashi Shekhar, Special Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, and Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi	Chairman
Members nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 3		
2.	Shri Praveen Prakash, Joint Secretary (Works and Swachh Bharat Mission), Ministry of Urban Development, New Delhi	Member
3.	Shri Anil Kumar Singh, Joint Secretary (Thermal), Ministry of Power, New Delhi	Member
4.	Dr. Amita Prasad, Joint Secretary (A), Ministry of Water Resources and Ganga Rejuvenation, New Delhi	Member
5.	Shri S.S. Mohanty, Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, New Delhi	Member
6.	Dr. Rashid Hasan, Adviser, CP Division, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, New Delhi	Member
Members nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 3		
7.	Shri Syed Javed Abbas, Chairman, Uttar Pradesh, Pollution Control Board, Lucknow	Member
8.	Dr. Ayi Vaman N. Acharya, Chairman, Karnataka Pollution Control Board, Bengaluru	Member
9.	Dr. Kalyan Rudra, Chairman, West Bengal Pollution Control Board, Kolkata	Member
10.	Dr. K. U. Mistry, Chairman, Gujarat, Pollution Control Board, Gandhi Nagar	Member

11.	Shri Dattatray Dhanakawade, Mayor, Pune Municipal Corporation, Maharashtra	Member
Members nominated under clause (d) of sub-section (2) of section 3		
12.	Shri Ramakant Bharadwaj, National Vice President, Laghu Udyog Bharati, Jhandewalan Extn., New Delhi	Member
13.	Shri Kanwal Singh Chauhan, Village Atterna, District Sonapat, Haryana	Member
14.	Shri Vivek Narayan Shejwalkar, Mayor, Municipal Corporation, Gwalior, Madhya Pradesh	Member
Members nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 3		
15.	Shri N. Kumar, Director (Technical) Coal India Limited, Kolkata	Member
16.	Shri Sanjeev Singh, Director (Refineries) Indian Oil Corporation Limited, New Delhi	Member
Member nominated under clause (f) of sub-section (2) of section 3		
17.	Dr. A.B. Akolkar, Member Secretary, Central Pollution Control Board, Delhi	Member Secretary

[No. Q-15014/21/2009-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Adviser (CP)

Note: The Principal notification constituting the Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 998(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 1974 and last reconstituted vide notification number S.O. 1621(E), dated the 27<sup>th</sup> September, 2006.